

## खनजि अधिकारों पर राज्यों द्वारा करारोपण शक्त को स्वीकृति

### प्रलिस के लयि:

[भारत का सर्वोच्च न्यायालय](#), संघ सूची, रॉयल्टी और कर, [महतत्वपूर्ण खनजि](#), [प्रत्यक्ष वदिशी नविश](#), [शुद्ध-शून्य उत्तरजन](#)

### मेन्स के लयि:

खनन कषेत्, भारत के खनन कषेत् का महत्त्व, शासन और नीति, औद्योगिक विकास

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारत के सर्वोच्च न्यायालय](#) ने [खनजि अधिकारों पर करारोपण](#) से संबंधित एक महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर वचिर करते हुए अपने वर्ष 1989 के नरिणय को खारजि कर दया है तथा इस संदर्भ में [राज्य की शक्त की पुनः पुष्टि](#) की है ।

- नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दया गए इस नरिणय से यह स्पष्ट हो गया है क खनजि रॉयल्टी पर संसद और राज्यों के पास कतिना अधिकार है ।

### सर्वोच्च न्यायालय ने क्या नरिणय दया?

- **मामले की पृष्ठभूमि:**
  - वर्ष 1989 में सात न्यायाधीशों की पीठ ने नरिणय सुनाया क [खान और खनजि \(विकास और वनियमन\) अधनियम, 1957](#) तथा [संघ सूची की प्रवष्टि 54](#) के तहत [खनन वनियमन पर केंद्र का प्राथमिक अधिकार](#) है ।
    - राज्यों को केवल [रॉयल्टी वसूलने](#) की अनुमति थी और अतरिकित करारोपण की अनुमति नहीं थी । न्यायालय ने रॉयल्टी को कर के रूप में वर्गीकृत कया और उन पर कोई भी उपकर [राज्य के अधिकार कषेत् से बाहर था](#) ।
  - वर्ष 2004 में पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने वर्ष 1989 के एक नरिणय में मुद्दण संबंधी त्रुटि का सुझाव दया था, जसिमें [संकेत दया गया क रॉयल्टी कोई कर नहीं है](#) । इसके परणामस्वरूप मौजूदा 9 न्यायाधीशों की पीठ ने इस नरिणय की समीक्षा की ।
- **वर्ष 1989 के नरिणय को खारजि कया:** सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने नरिणय सुनाया क वर्ष 1989 का वह नरिणय गलत था, जसिमें [खनजि पर रॉयल्टी को MMDRA, 1957 के तहत कर के रूप में वर्गीकृत कया गया था](#) ।
- **राज्य बनाम केंद्रीय प्राधिकरण:** न्यायालय ने इस तर्क पर जोर दया क खनजि अधिकारों पर करारोपण शक्ति पूरी तरह से राज्यों के पास है, जबक संसद केवल खनजि विकास में बाधाओं को रोकने के लयि सीमाएँ लगा सकती है ।
  - इस नरिणय में स्पष्ट कया गया है क [संसद को संवधान की सूची II की प्रवष्टि 50 के अंतर्गत खनजि अधिकारों पर कर लगाने का अधिकार नहीं है](#), जो [राज्य की शक्तियों](#) को नरितरति करती है तथा यह कर नहीं, बल्क प्रतबिध लगाने तक सीमति है ।
  - संसद राज्यों के खनजि अधिकारों पर करारोपण के तरीके पर प्रतबिध लगा सकती है, [लेकनि वह सीधे कर नहीं लगा सकती](#) । ऐसा इसलयि कया जाता है ताक यह सुनश्चिति कया जा सके क खनजि विकास में बाधा न आए ।
- **असहमतपूर्ण राय:** चेतावनी दी गई क [राज्यों को खनजि अधिकारों पर करारोपण की अनुमति देने से सूची II की प्रवष्टि 49 के अंतर्गत भूमि और भवनों पर भी करारोपण का प्रयास कया जा सकता है](#), जसिसे [संघीय प्रणाली](#) ध्वस्त हो जाएगी तथा खनजि मूल्य नरिधारण एवं विकास में [एकरूपता समाप्त हो जाएगी](#) ।
  - परणामस्वरूप [राज्य पुनः खनजि पर करारोपण शुरू कर देंगे](#), जसिसे कानूनी अनश्चितता उत्पन्न होगी तथा भारत में धातु विकास सहति [अन्य प्रतकिल आर्थिक परणाम सामने आएंगे](#) ।
  - खनजि मूल्य नरिधारण और विकास हतियों में [एकरूपता सुनश्चिति करने तथा राज्यों को खनजि अधिकारों पर करारोपण से रोकने के लयि संसद को हस्तकषेप करना होगा](#) ।

### रॉयल्टी और टैक्स में क्या अंतर है?

- वर्ष 2021 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 'रॉयल्टी' और 'कर' के बीच अंतर को रेखांकित किया था।
- **रॉयल्टी:** यह पार्टियों के बीच एक समझौते से उत्पन्न होती है। यह अनुदानकर्त्ता द्वारा प्राप्त अधिकारों और विशेषाधिकारों के लिये भुगतान किया गया मुआवजा है।
  - रॉयल्टी भुगतान का अनुदान प्राप्तकर्त्ता को दिये गए लाभ या विशेषाधिकार के साथ सीधा संबंध होता है।
  - यह समझौते के लिये वशिष्ट होता है और अक्सर संसाधनों के दोहन या अनुदानकर्त्ता द्वारा दिये गए विशेषाधिकार के उपयोग से जुड़ा होता है।
  - **उदाहरण:** न्यायालय ने **हगिरि-रामपुर कोल कंपनी लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य (1961)**, **पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2004)** और अन्य सहित कई मामलों का संदर्भ देते हुए यह स्थापित किया कि रॉयल्टी प्रत्यक्ष लाभ के साथ संवदात्मक दायित्व है।
- **कर:** यह करदाता को दिये गए किसी विशेष लाभ के संदर्भ के बिना एक वैधानिक शक्त के तहत लगाया जाता है। इसे कानून द्वारा लागू किया जाता है और इसके लिये करदाता की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है।
  - कर सार्वजनिक उद्देश्यों के लिये लगाए जाते हैं, लेकिन करदाता को कोई विशेष लाभ नहीं होता। ये सभी नागरिकों द्वारा वहन किये जाने वाले सामान्य बोझ का हिस्सा हैं।
  - रॉयल्टी के विपरीत करों में कोई लेन-देन व्यवस्था शामिल नहीं होती है। भुगतान अनिवार्य है और यह किसी विशेषाधिकार या लाभ से जुड़ा नहीं है।
  - **उदाहरण:** न्यायालय ने करों की विशेषताओं को उजागर करने के लिये **हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम गुजरात अंबुजा सीमेंट लिमिटेड (2005)** और **जदिल स्टेनलेस लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य (2017)** सहित कई मामलों का उल्लेख किया।

## खान एवं खनजि (विकास एवं वनियमन) अधिनियम, 1957 क्या है?


- यह भारत में खनन क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून है। खनजि क्षेत्र में उभरती ज़रूरतों और चुनौतियों को उजागर करने के लिये इस अधिनियम में कई संशोधन किये गए हैं, ताकि राष्ट्रीय आर्थिक एवं सुरक्षा हितों के साथ इसका संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।
- प्राथमिक उद्देश्य खनन उद्योग का विकास करना, खनजि संरक्षण सुनिश्चित करना तथा खनजि दोहन में पारदर्शिता और दक्षता लाना था।
- **2015 का संशोधन:** इस व्यापक संशोधन ने कई प्रमुख सुधार प्रस्तुत किये।
  - **नीलामी पद्धति:** आवंटन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिये खनजि रियायतों की अनिवार्य नीलामी।
  - **ज़िला खनजि फ़ाउंडेशन (DMF):** खनन से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों को लाभ पहुँचाने के लिये DMF की स्थापना की गई।
  - **राष्ट्रीय खनजि अन्वेषण ट्रस्ट (NMET):** खनजि अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये NMET की स्थापना की गई।
  - **अवैध खनन के लिये दंड:** अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु कड़े दंड लागू किये गए।
- **वर्ष 2016 और 2020 संशोधन:** इस क्षेत्र के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिये वशिष्ट मुद्दों पर ध्यान दिया गया।
- **2021 संशोधन:**
  - **कैप्टिवि और मर्चेंट खदानें:** इस प्रकार की खदानों के बीच के अंतर को हटा दिया गया है।
    - **कैप्टिवि खदानों** का संचालन कंपनियों द्वारा विशेष रूप से अपने स्वयं के उपयोग के लिये खनजिों का उत्पादन करने हेतु किया जाता है। कैप्टिवि खदानों से निकाले गए खनजि, अंतिम उपयोग संयंत्र की संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद अपने वार्षिक खनजि उत्पादन का 50% तक खुले बाज़ार में बेच सकते हैं, जिसके लिये सरकार द्वारा मूल रूप से खनजि ब्लॉक आवंटित किया गया था।
    - **मर्चेंट खदानों** का संचालन खुले बाज़ार में बिक्री के लिये खनजिों का उत्पादन करने के लिये किया जाता है। निकाले गए खनजिों को विभिन्न खरीदारों को बेचा जाता है, जिनमें वे उद्योग भी शामिल हैं जिनके पास अपनी खदानें नहीं हैं।
  - **केवल नीलामी रियायतें:** यह सुनिश्चित किया गया कि सभी नजि क्षेत्र की खनजि रियायतें नीलामी के माध्यम से दी जाएँ।
- **वर्ष 2023 का संशोधन:**
  - खान और खनजि (विकास और वनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 का उद्देश्य भारत के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये आवश्यक महत्वपूर्ण खनजिों की खोज और नषिकर्षण को मज़बूत करना है।
  - मुख्य संशोधनों में राज्य एजेंसियों द्वारा अन्वेषण तक सीमिति 12 परमाणु खनजिों की सूची से 6 खनजिों को हटाना, सरकार को महत्वपूर्ण खनजिों के लिये विशेष रूप से **खनजि रियायतों** की नीलामी करने का अधिकार देना शामिल है।
  - वदिशी प्रत्यक्ष नविश को आकर्षित करने और खनन कंपनियों को गहरे एवं महत्वपूर्ण खनजिों की खोज में शामिल करने के लिये अन्वेषण लाइसेंस दिये गए।
    - इन महत्वपूर्ण खनजिों की खोज और खनन में तेज़ी लाने के लिये आयात पर निर्भरता कम करने एवं नजि क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
  - भवष्य की प्रौद्योगिकियों के लिये लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, टाइटेनियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे खनजिों के महत्व को मान्यता दी गई एवं वर्ष 2070 तक ऊर्जा परिवर्तन व शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी स्वीकार किया गया।


## भारत में खनन क्षेत्र का परिदृश्य

- **भारत के इस्पात क्षेत्र ने** उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है, जिससे यह विश्व में इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में देश का कच्चा इस्पात उत्पादन 144.04 मिलियन टन, तैयार इस्पात उत्पादन 138.83 मिलियन टन एवं तैयार इस्पात की खपत 136.65 मिलियन टन थी।
  - पिछले वर्ष की तुलना में तैयार इस्पात उत्पादन में **12.68% से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि खपत में 13.9% की वृद्धि हुई**
- भारत के पास कूल कोयला भंडार 344.02 बिलियन टन है और यह विश्व में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
  - कोयला क्षेत्र में, जून 2024 के दौरान उत्पादन **84.63 मिलियन टन था, जो जून 2023 की तुलना में 14.49% की वृद्धि दर्शाता है।**

- पछिले वर्ष की तुलना में संचयी कोयला उत्पादन में **11.65% की वृद्धि** हुई।
- **मैंगनीज़ और (इंडिया) लमिटिड** ने वित्त वर्ष **2023-24 में 17.56 लाख टन मैंगनीज़ अयस्क का उच्चतम उत्पादन** हासिल किया, जो पछिले वर्ष की तुलना में **35% की वृद्धि** दर्शाता है। भारत के खनजि उत्पादन में भी अप्रैल-फरवरी, 2023-24 की अवधि के लिये 8.2% की संचयी वृद्धि देखी गई। देश की FDI नीति स्टील और खनन क्षेत्रों के साथ-साथ कोयला एवं लगिनाइट के लिये स्वचालित मार्गों के माध्यम से 100% FDI की अनुमति देती है।
- सत्र **2021-22 के लिये खनजि उत्पादन सूचकांक** (आधार सत्र 2011-12) **113.3** है, जो सत्र 2020-21 की तुलना में 12.17% की वृद्धि दर्शाता है।
  - सत्र 2021-22 के लिये खनजि उत्पादन (परमाणु और ईंधन खनजिों को छोड़कर) का कुल मूल्य लगभग 220000 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसमें धातु खनजिों का योगदान लगभग 120000 करोड़ रुपए है।
- **भारतीय खनन उद्योग** में बड़ी संख्या में छोटी परचालित खदानें हैं। सत्र 2021-22 में भारत में खनजि उत्पादन (लघु खनजिों, ईंधन खनजिों और परमाणु खनजिों को छोड़कर) की रपौर्ट करने वाली खदानों की संख्या 1319 थी, जिनमें सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश (263) में स्थित थी, इसके बाद गुजरात (147), कर्नाटक (132), ओडिशा (128), छत्तीसगढ़ (114), आंध्र प्रदेश (108), राजस्थान (90), तमिलनाडु (88), महाराष्ट्र (73), झारखंड (45) और तेलंगाना (39) थे।
  - सत्र 2021-22 में इन **11 राज्यों की देश में कुल खदानों की संख्या में 93% हस्सेदारी** थी।

//





२२२२२२ २२२२२ २२२२२२:

**प्रश्न.** खनजि अधिकारों और रॉयल्टी के संबंध में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के वभाजन का परीक्षण कीजयि जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय द्वारा स्पष्ट कयिा गया है ।



और पढ़ें...

[औद्योगिक अलकोहल वनियमन](#)

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

**??????:**

प्रश्न. भारत में गौण खनजि के प्रबंधन के संदर्भ में, नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2019)

1. इस देश में वदियमान वधिके अनुसार रेत एक 'गौण खनजि' है।
2. गौण खनजिों के खनन पटटे प्रदान करने की शक्तिराज्य सरकारों के पास है, कनितु गौण खनजिों को प्रदान करने से संबंधति नयिमों को बनाने के बारे में शक्तिरिों केंद्र सरकार के पास हैं।
3. गौण खनजिों के अवैध खनन को रोकने के लयि नयिम बनाने की शक्तिराज्य सरकारों के पास है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

प्रश्न. भारत में 'ज़लिा खनजि प्रतषिठान (डसि्ट्रिक्ट मनिरल फाउंडेशनस)' का/के उद्देश्य क्या है/ हैं? (2016)

1. खनजि-सम्पन्न ज़लिों में खनजि-खोज संबंधी करयिकालापों को प्रोत्साहति करना
2. खनजि-कार्य से प्रभावति लोगों के हतिों की रक्षा करना
3. राज्य सरकारों को खनजि-खोज के लयि लाइसेंस नरिगत करने के लयि अधिकृत करना

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

**??????:**

प्रश्न. गॉडवानालैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में बहुत कम प्रतशित का योगदान देते हैं। वविचना कीजयि। (2021)